राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांकः प.14(८४) RSSB / अर्थना / वन विभाग / सीधी भर्ती / 2020 / 3533

दिनांक : 11 11 2020

विज्ञापन सं.04 / 2020

-: वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा-2020::-

वन विभाग राजस्थान के लिये राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थाई पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपन्न में **ऑनलाइन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं:**— वनपाल के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 73 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 14 कुल 87 एवं वनस्क्षक के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 886 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 155 कुल 1041

क्र.स.	पद का नाम	गैर अनुसचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद	
1.	वनपाल	73	14	87	
2.	वनरक्षक	886	155	1041	

विशेष नोट :-

(1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेंदन मरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेंदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेंदक का आवदन पत्र रदद कर उस परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी रवयं आवेंदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेंदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(2) आरक्षण की रिथिन एवं नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

1. आवेदन प्रक्रिया:- आवेदन On lineApplication Form में लिय जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्रकियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बनाल एवं SSO ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई-मित्र कियांस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई-मित्र / जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खूलेगा जिसमे ई—मित्र / जन सुविधा केन्द्र सचालक अभ्यर्थी केऽऽo ID एवं passwordसे Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरगा। जा अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नही है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click करwww.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरात उसका SSO ID एव password प्राप्त कर Login करेंगे। ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वंय अपने भरे हुए आवंदन की पुनः महनता से जांच करेगा। यदि आवंदन में कोई ऋटि रह जाती है तो ई–मित्र कियोरक संचालक अभ्यर्थी के आवंदन में आवंदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने क वाद आवंदक का पुनः उसके आवंदन **का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित** करंगा कि आवदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही-सही आवेदन मरन के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में काई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोरक पर जमा कराना होगा। इस हेत् अभ्यर्थी द्वारा रूपये 30/- (रूपये 20/- आवंदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सवा शुल्क के रूप में देना होगा । आवेदन भरन के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियास्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक 🖘 स प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होन पर ही ऑनिलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने क बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई—मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें । ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रकिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवंदन भर सकता है।

अभ्यर्थी अपन SSOID एवं password से Login करेंगे। इसके पश्चात Dashboard पर Ongoing Recuirtment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरेग। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता स जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview दख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। अभ्यर्थी सही—सही आवेदन मरने के बाद Submit पर Click करें। आवेदक अपना आवदन Submit करने के बाद OK पर Click करेंगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलगा। अभ्यर्थी अपनी श्रंणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैकिंग / ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड ई मिन्न क माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अम्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन रेव फिरा एवं फीस जमा करवा सकता है। आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावगा। ऐसी स्थिति में ई मिन्न हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 (2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवदन की रसीद अभ्यर्थी को ई मेल एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

नोट:--

- अांबदक अपना ऑनलाइन आवंदन पत्र अंतिन रूप स भरने से पूव उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई है। आवदक द्वारा आवंदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगें की कार्यवाही की जावेगी। आवंदक आवंदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवंदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रृटि को संशोधित करने की अनुमित नहीं दी जायेगी।
- 2. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
- 3. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन—पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।

4 कृपया आनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की बेवसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य

दिशा—निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।

- 5. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई.डी दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
 - 6. अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिये एक ही ऑनलाईन आवेदन भरा जावें। यदि अभ्यर्थी एक स अधिक आवेदन भरता है तो उसके द्वारा भरे गये अंतिम आवेदन को ही स्वीकार किया जावेंगा।
 - 7 इस भर्ती से सबंधित समस्त सूचनाएं बोर्ड द्वारा बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही दी जावेगी। कृपया इस भर्ती से संबंधित सभी सूचनाओं के लिये नियमित रूप से बोर्ड की वंबसाईट का अवलोकन करते रहें।
- 2. परीक्षा शुल्क:— आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई—मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।
 - (क) सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतू रूपये 450/-
 - (ख) राजस्थान कें नॉन कीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतू -रूपये 350/-
 - (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु रूपये 250 / -
 - (घ) कार्मिक विभाग के परिपन्न कमांक प.8(3) कार्मिक / क-2 / 18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुक्क रूपये 250 /—देय है।(कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 5 भी अवश्य देखें।)

नोट-

1.आवेदकों की सुविधा के लियं राज्य के समस्त **ई-मित्र कियोस्क** तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) की सूची बोर्ड की बेवसाइट पर लपलब्ध है।

2.राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अम्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। 3.फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।

- 4. फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती हैं, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी द्वारा अपनी श्रेणी में परिवर्तन चाहने की स्थिति में श्रेणी परिवर्तन के लिये उसी स्थिति में विचार किया जायेगा जबकि अभ्यर्थी नै आवेदन शुक्क संशोधित श्रेणी के लिये निर्धारित शुक्क जमा करवाया हुआ है।
- 5 सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वें परीक्षा शुल्क रूपये 250/— ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण—पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- 3. प्रवेश पत्र:—बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के मध्यम से ही आनॅलाईन प्रवेश—पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश—पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश—पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखे। जपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश—पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई—मैल आईडी (E-mail ID) एव मोबाइल नम्बर पर भजी जा सकती है।
- 4. वनपाल एवं वनरक्षक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:--

(क) गैर-अनुसूचित क्षेत्र

पद का नाम	कुल पद		साम	ान्ध		3	नुसूचि	त जार्ग	तें	ঞ্	पुस् चित	তাসভ	ग्रति	अ	न्य पिष्ट	ह्या :	वर्ग	आ	ति पिछ	াড়া ।	वर्ग		गर्थिक कमजो		
		साभान्य	सामान्य महिला	विधवा	पिश्त्यकता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	मरित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधया	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधया	परित्यक्ता
वनपाल	73	10	2	2	-	14	4	1	1	15	4	2	-	_	-	-	_	6	3	-		5	2	-	-
वनरक्षक	886	281	80	32	8	103	29	11	3	67	19	8	2	46	14	5	1	62	18	7	1	63	18	7	1

पद का नाम		बारां जिले की	सहरिया आदिम	जाति
-	सामन्य	सामान्य	विक्षवा	गरिस्थायता
वनपाल	2	-	-	-
वनरक्षक	_	-	-	

पद का नाम	क्षैतिज आरक्षण	(HORIZONTAL R	ESERVATION)
	विशेष योग्यजन	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिल
	Acid Attack Victim	80 87 (1) 13	31.2 7.31.
वनपाल	03	09	02
वनरक्षक	35	292	18

(ख) अनुसूचित क्षेत्र

पद का नाम कुल पद		सामान्य				अनुसृचि	त जाति	1	अमुसूचित जनजाति				
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिस्थयता	रामिन्द	सामान्य महिला	विषया	परित्यक्ता	क्रमानस	सामान्य महिला	विध्वया	परिस्थक्ता
वनपाल	14	4	-	1	-	02	-	-	-	5	2	-	
वनरक्षक	155	43	13	5	1	03	1	1	_	62	18	7	1

पद का नाम	क्षैतिज आरक्षण (।	HORIZONTAL RESERVA	ATION)
	विशेष थांग्यजन Acid Attack Victim	भृतपूर संनिक	उत्कृष्ट खिलाडी
वनपाल	01	()2	-
वनरक्षक	06	1	03

नोटः-

- 1. प्रत्यक पद क लिये अभ्यर्थियों का अलग-अलग आनलाईन आवेदन भरना हागा।
- 2. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगें। यदि अभ्यर्थी का चयन गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो पात्रता की जांच के समय अभ्यर्थी को दोनों में से किसी एक क्षेत्र का विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- 4. महिला भृतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाडी एवं विशंष योग्यजनों के लिए आर<mark>क्षित पदों</mark> का आरक्षण दण्डवत (Horizonta) से होगा।
- 5. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में कमी या बढोतरी** की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष सूचनाः-

ा कार्मिक (क−2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनूसूचित जाति∕अनूसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।

यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रकिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- उ महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
 - स्पष्टीकरण:— किसी वर्ग(अनारिक्षत पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 4 महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह—विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पित की मृत्यु का प्रमाण—पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- 5 अति पिछडा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछडा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- 6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क—2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10. 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- 7. कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाित / अनुसूचित जनजाित / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- 8. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
- 9. बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बांरा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश कमांक प.13(20) कार्मिक/क—2/91पार्ट दिनांक21.05.2013 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
- 10 भूतपूर्व सैनिकों हेतु:—(क) भूतपूर्व संनिकों के आश्रिता को मृतपूर्व संनिका क आरक्षित पदो का लाभ देय नहीं होगा।
 - (ख) भृतपूर्व सेनिक :-
 - (1) प्रतिरक्षा (शल जल, वायु सेना) सेवाओं से संवामुक्ति के सगर आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति म दशाया गया हो।
 - (2) प्रतिरक्षा संगा स सवामुक्ति क पश्चात् किसी आवदक का चरित्र एरम होना चाहिये जा उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

भृतपर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षेतिज (Horizontal) रूप से हैं अर्थात आवंदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग /आर्थिज रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जानि /अनुसूचित जानि /अनुसूचित जानि /अनुसूचित जानि विकास वर्ग अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग क अन्तर्गत समायाजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपालक्षाता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग को अधिसूचना कमांक एफ.5(18) कार्मिक /क—2/84 पार्ट—॥ दिनांक 17.04.2018 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगें। इस अधिसूचना के अनुसार कोई भूतपूर्व सैनिक सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी स प्राप्त निराक्षण प्रमाण पत्र (एन आरमो) क अगना पर अपने पेशन अर्जित करने के पश्चात् पद के लिये आवंदन करने का पात्र होंग. किन्तु उसे समूचित वयन अभिकरण का सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना हागा:-

र के न के न कर कार्यों में में माला के माध्यम में नगन किया जाता है

- 2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
- 3 लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरण:— कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.05.2019 के अनुसार जब किसी सैनिक द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.04 2018 के तहत किसी पद हेतु आवेदन किया जाता हैं। तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यदि उसका सेवा निवृत्ति आदेश जारी हो चुका हैं और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, तो लिखित परीक्षा / मुख्य परीक्षा / साक्षात्कार / दस्तावेज सत्यापन जैसी भी स्थित हो की तिथि तक सेवानिवृत्ति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र माना जावेगा तथा इस आधार पर आवेदक को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाम दैय होगें। इस आदेश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर उनके सेवामुक्ति की तिथि तक कार्यग्रहण अवधि में शिथिलन प्रदान कर सकता हैं। यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति का नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान सख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जावेगी।

उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:— उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पद्मों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में केवल ये ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विमाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा। उत्कृष्ट खिलाडी सम्बन्धी प्रावधान :-कार्मिक विमाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाडी ' से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने :--

उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल सस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट /चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट /चैंपियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स(ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जात हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसघ	विश्व कप / विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ)	एशियन स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप

 स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ,

इण्डियन ओलिंग्यक एसोसिएशन या इससे सबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेंडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय दूर्नीमेंट / चैंपियनशियमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नंशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"

नोष्ट:— कृपया उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना याग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी अंकित की हैं, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

12 विशेष योग्यजन (नि:शक्तजन) के लिये :--

- a. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6(2)b अर्न्तगत गठित समिति की बैठक दिनांक 24.02.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण का लाभ देय है ≔
 - 1. Acid Attack Victim पात्र होंगे।
- b. विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
- c. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018के अनुसार ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।

d.विशेषयाग्यजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेषयोग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

e. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आत हैं, अपनी विशेष याग्यजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेंडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

5.अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :--

1 अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अमिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्मावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 क वाद हुआ है तो उनके माता—पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क—2) विभाग की अधिसूचना दिनाक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।

2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक /क –2 / 91 / पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।

- 3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अमुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम—2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं, वहां पर राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम, 2015 के प्रावधान लागू होंगे।
- 4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक(क-2) विभाग ने अपने परिपत्र कमाक प.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है।अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट:— अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन मरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रकिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण—पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनो की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यकम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर—अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

6. वेतनमानः— राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार वनपाल का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल—8 निर्धारित है तथा वनरक्षक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल—4 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

अन्य शर्ते :--

(1.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय--समय पर नियत की जावे।

(2.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अविध के लिये की जायेगी। इस अविध के वौरान पद की वेतन शृखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। परिवीक्षा अविध में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा अविध की समाप्ति पर पद की वेतन शृखला का न्यूनतम एव अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें व स्थाईकरण का पात्र होगा।

7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:--

- i. वनपाल के लिए:- (i) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी (10+2) या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण
 - (ii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
- ii. वनरक्षक के लिए:- (i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण

(ii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

जो व्यक्ति पाठ्यकम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी मर्ती के लिए वनपाल एवं वनरक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा:—

- 1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
- 2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
- 3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहल जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता परीक्षण:-

(क) वनपाल और वनरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी नीचे यथा विहित शारीरिक उपयुक्तता के न्यूनतम मापमान प्राप्त करेगा :--

अभ्यर्थी	ऊँचाई (सेमी.)	सीने का घंरा (र	सेमी.)
		सामान्य	फैलाव
पुरुष 163		84	05
महिला	150	79	05

अनुसूचित जनजातियों और नस्लें जैसे, असमिया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कमांऊ, लददाखी, मीजो, नागा, नेपाली, सिक्किमी के अभ्यर्थियों और जो अरूणाचल प्रदेश, लाहौल तथा स्पीति, मेघालय से है, के मामले में न्यूनतम ऊँचाई के निम्नलिखित मापमान अनुज्ञात किये जा सकेंगे :--

अम्यर्थी	ऊँचाई (सेमी.)
पुरुष	152
महिला	145

⁽ख) पद—चाल परीक्षण :-- पुरूष / महिला अभ्यर्थी को कमश 25 / 16 किमी. की दूरी 4 घण्ट के भीतर-भीतर पैदल चल कर तय करने वाला एक शारीरिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना होगा।

(ग) वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के निम्नलिखित मापमान भी प्राप्त करने होंगे। अभ्यर्थी अपने स्वयं के जोखिम पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होंगे।

पुरूषों के लिए:-

मद	मापमान	
1 सिट-अपस	1 मिनट में 25 दोहराव	
2. किकंट जॉल फेंक (ओ)	55 मीटर	

महिलाओं के लिए

द	मापमान
1 खडी लम्बी कूद 2. (स्टेण्डिंग ब्रांड जम्प्स)	1.35 मीटर
 गोला फेंक (शॉट पुट) (4 कि.ग्रा.) 	4.5 मीटर

शारीरिक दक्षता के ये मापमान, भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों / बांरा जिले में निवास कर रहे सहरिया अभ्यर्थियों और जनजाति उप आयोजना क्षेत्र के अनु.

जा. / अनु.जन.जा. अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रवर्गों के अभ्यर्थियों पर लागू होंगे।

सिट-अपस् कें लिए अभ्यर्थी अपनी पीठ के बल लेटेगा, टख़नों को धामने के लिए सहारे के साथ उसकी टांगे पूर्णरूप से तनी हों और अपने ऊपरी शरीर को उठायेगा। उठते समय अपने ऊपरी शरीर को 90 डिग्री तक उठायेगा (शरीर को जमीन के साथ लम्बवत् करते हुए) उसकी टांगे उठनी नहीं चाहिए। खडी लम्बी कूद (स्टैण्डिंग ब्रांड जम्प्स) के लिए अभ्यर्थी स्थिर दशा (बिना दौड़ लगाये) से कूदेगा और कूदने व टेक लगाते समय भी दोनो टांगो का साथ-साथ रखेगा।

(घ) अर्हता के लिए उपरोक्त उप-नियम (२) के खण्ड़ (ग) में उल्लिखित मर्दा के लिए किसी अभ्यर्थी को दो अवसर दिये जायेंगे।

(ङ.) शारीरिक दक्षता परीक्षण नियम 23 के उप–नियम (2) के अधीन गठित समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा संचालित किया जायेगा।

(च) शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता परीक्षण केवल अर्हक प्रकृति (Qualifying in Nature) का होगा।

अन्य योग्यताऐं :--

- (1) स्वास्थ्य:- वनपाल एवं वनरक्षक के पद पर भर्ती क लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि वनपाल एवं वनरक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लियं अपना आरांग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मंडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यत वह निवास करता है।
- (2) चिरित्र सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह वनपाल एवं वनरक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सक । उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी केद्वारा प्रदत, प्रस्तूत करना होगा और दो एंसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा विये हुये नहीं हो।

8. राष्ट्रीयता :--

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) नेगाल का प्रजाजन हो, या
- (ग) भटान का प्रजाजन हो. या

(घ)ऐसातिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1—1—62 से पहले भारत में एथाई रूप से बसने के विचार से आया था, या

(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानियातथा जंजीबार), जाम्विया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट:-परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ड.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9.आयु:-वनपाल :-- आवदक 1. जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी मतीं के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की मतीं में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।"

वनरक्षक:- आवेदक 1, जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 24 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु ''जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावंगा, किन्तु यह छूट ३ वर्ष से अधिक नहीं दी जावंगी।"

स्पाचीकरण:- वनपाल एव वनरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2015-2016 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की और छूट दी जाएगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

1, अधिकतम आयु सीमा में -

- (क) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछडा वर्ग और अति पिछडा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (ख) सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (ग) अनुमूचित जाति / अनुसूचित जन जाति ,अन्य पिछडा वर्ग और अति पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है, के मामलं में 10 वर्ष की छूट दी जायंगी।
- 2 अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व केंदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार (Substantive) पर सेवा की हो और जो सजा पान से पूर्व नियमों क अधीन नियुक्ति का पात्र था।
- 3. अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैदी क मामले में उसके द्वारा भोगी गई राजा की अवधि के बराबर काल तक की ढील दी जाएगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था।
- 4. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमित दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आवधि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई हो।
- 5. राज्य सेवा में एक पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आयु सीमा के भीतर थे, जब वे शुक्र में नियुक्त किए गये थे, भले ही वे आयु सीमा पार कर चुके हों, जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो, और दो अवसरों तक की अनुमति दी जावेगी, जैसे वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय पात्र थे।

6. सेना म मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यक्तियों के मामलें में

निर्धारित आयु सीमा में माना जायेगा भले ही वे निर्धारित आयु सीमा की प्राप्त कर चुके हो जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो।

- 7 राज्य पंत्रयात समिति तथा जिला परिषद और पब्लिक संक्टर उपकाम / निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसीयत से सेवा कर रहे व्यक्तिया के संबंध में उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- 8. भृतपय सना कार्मिको और रिजर्विस्टी अथोत रक्षा सवा कार्मिको किन्छो रिजर्व में स्थाना-तरित किया गया था के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी
- 9 विधवाआ आर विक्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में काई आयु सोमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- विधवा महिला के मामले ग उस सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला क मामले में उस विच्छिन्न विवाह का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

- नोट:-
- (क) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आधु सामा म छू ामी दी जावेगी थावे वह बोर्ड कार्यालय में आवदन प्राप्त करने की अन्तिम विताक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवदक के अभिकायु का हाने पर संस्था आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
- (ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिय **राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम,2015** एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशाधन, निर्देश, परिपन्न एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ग) उपगक्त विन्दु 9 की क.सं. 1 से 09 पर वर्णित आयु सीमा में छूट क प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपराक्त क.सं. 1 य 09 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सोमा में छूट का लाग दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर का लाग नहीं दिया जायगा।
- 10. **अंशदायी पेंशन:**-नय भर्ती / नियुक्त दाने वाले कर्मकारियों क लिय नियम नुसार अशदायी फान याजना लागू होगी।
- 11. विवाह पंजीयन:— शासन के परिपन्न क्रमांक ए.6(१५) गृह—13.7200८ वर्तांच 22—5—200८ के अनुसार इस परिपन्न के जारी होने की दिनाक से राजकीय संबंध में लियुंबित हतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किंग्य गया है । तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय बांछनीय होगा।
- 12. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:--
 - (क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई—भित्र कियोरक जन सुविधा कट (C.S.C.), नेट वैकिय, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के मध्यभ स दिनांक 08.12.2020 से दिनांक 07.01.2021 का मध्यभार 11.59 बज तक जमा कराया जा सकता है।
 - (ख) आनलाइंन आवंदन पत्र **दिनांक 08.12.2020 से दिनांक 07.91.2021** का मध्य राजि 1059 वजे तक **बोर्ड** की वेबसाईट पर भरें जा सकत है (इसक उभरात लिंक निष्क्रिय हो जाएंगा)। आवंदकां का सलान हो जाती है कि आनलाईन आवंदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए विन' समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवंदन करें।
- 13. परीक्षा का माह एवं दिनांक:— वनपाल एवं वनरक्षक क पदों को भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वार आवंटित परीक्षा केन्द्रो पर करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सुनना वार्ड की वेवसाईट एवं प्रेस विज्ञाप्ति के माध्यम से अलग से द दी जायेगी। वार्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करन का अधिकार सुरक्षित है।
- 14. **अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में** :—सभी आवदक जो पहल ते ही सरकारी नीकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है, उन्हें अपने नियाक्ता का इस परीक्षा के लिए आवदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।
- 15. नियुक्ति की अयोग्यताऐं :--
 - (1)किसी की एखे पुरुष आवेदक को जिसकी एक एँ अधिक जीवित पत्नी हा चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावगा। किसी आजरक का इस नियम की वज्यंबाही रुप कुट जी जा सकती है और संस्कार सतुष्ट जी कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं।
 - (2)किसी में एसे महिला आवेदक का जिसने उस पुरुष सविवाह किया है जिसक पहल आवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छट दीजा सकती है विदे सरकार सतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
 - (3)कोई भी विवाहित आवदक संवा में नियुक्ति करने के लिए पात्रनहीं होगा/होगी, यदि उसन अपने विवाह केंसमय कोई दहेज स्वीकार किया हा। (4)ऐसा काई भी अभ्यर्थी, जिसक 1–6–2002 का या उसके पश्चात् ां व अधिक वच्चे हा सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दा स अधिक वच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति क लिए तब तक निशहेंत नहीं समझा जायंगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके

वच्चों की संख्या में वढात्तरों नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसंग्न से कवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसंग्न से एक स अधिक बच्चे पैदा होत हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चां को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसंग्न से पैदा हुई हो और

निःशक्त हा, गणना नहीं की जाएगी।
(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड न छद्मकारिता (अपने आप का अन्य व्यक्ति होना वताना) करने, या कांट—छांट किए हुए जाला दस्तावज पंश करने या गलत वयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीक काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने. या परीक्षा में प्रवंश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकटमां का उन्तरवायी वनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में वैडन के लिए, स्थार्ड उप से या राजस्थान कर्मचारी चयन वोर्ड द्वारा निर्दिप्त अविशे तक के लिए विद्यक्ति (Debarred)कर दिया जायेगा।

16.आवेदन कैसे करे:-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट— राजस्थान क पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग की कामालयः वर्गी क आवटक तथा राजस्थान राज्य स भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति / अनुसूचित अनुसूचित जाति / अनुसूचित अनुसूच

- 1 आवदको को हिदायत दी जातो है कि ऑनलाईन आवटन पत्र भरन य पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ सर्वधित सवा नियमा का अध्ययन कर लें।
- 2 ऑनलाईन आवंदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार कि आएंगे। आवंदक आयंदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्न पूर्व करता है एक पद के सम्बन्ध में बाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही—सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविप्टिया पूर्ण एवं सही नहीं हाने की स्थिति में बाही द्वारा आवंदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवंदन पत्र में भरी गई सूचना का ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवंदक की हागी।
- 3 यदि आवदक द्वारा अपनी श्रेणी स भिन्न श्रेणो में आवदन किया जावा ह तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवदन करन वर आवदक का आवदन पत्र वोर्ड द्वारा किसी नी उन्ह पर रदद किया ना सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।अनुसचित जाति /अनुस्वित जनजाति/अन्य पिछटा वग / उन्हें। पिछड़ा वर्ग क अभ्यर्थियों का On line Application Form प्रस्तुत (Submit) करत समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलन म कर अन्यथा On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात (संशाधन करने की अवधि समाप्त होन के बाद) वर्ग परिवर्तन नहा किया जायंगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं। तो वर्ग विश्वष का लाभ विज्ञापित पदों हेंतु देय नहीं होगा और कि ही इस संबंध में किसी प्रार्थना—पत्र पर विचार किया जाएगा।

4 वोर्ड द्वारा आंनआईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर हा अभ्यर्थियों की ाजता (आयु यांग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी यदि आवदक द्वारा भरी गई सूचन के आधार पर वह आपात्र पत्रा जाता है ता उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा निरम्ही अपान्त निरमोदारी स्वयं आवदक की होगी। ऑनलाईन आवदन पत्र में की गई प्रोगेष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के वाद र

- 5 आवंदक जिनक ऑनलाईन आवंदन पत्र अन्तिम दिनाक तक वार्ड कार्यातम्य का पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवंदकों को बोर्ड द्वारा अनित्म (Provisional) रूप से प्रवश दिया जाएगा। गरीक्षा क लिय प्रवेश-पत्र जारी करने का वह अभिप्राय नहीं है कि वोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप स सही मान ली गई हैं अथवा उम्मीदवार द्वारा आवंदन-पत्र म की गयी प्रविष्टयाँ वार्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। वोर्ड द्वारा आवंदकों की पावता को जाँच अलग से की आयगी। अरथाई रूप से चयन होने की रिथति में आवंदक को विस्तृत आवंदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावजां की खाप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ वार्ड कार्यालय में प्रस्तृत करना होगा। वार्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय वथा मूल प्रलखा स पात्रना की जांच करते समय यदि आयु, शिक्षाणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग एव भूतपूर्व संनिक या अन्य शर्ता की पालना नहीं करन क कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारों किसो भी स्तर पर रदद की जा सकती ह जिसकी संगरन िवस्वारी स्वयं अभ्यर्थी की हागी।
- 6 अभ्यार्थिया की सुविधा हतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान राजमार सन्दर्भ रू आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट <u>www.rs.rs.b. snasthan.gov.in</u>पर भी उपलब्ध है।

7.फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा—निर्देश फोटो अपलोड़ करने के लिए दिशा—निर्देश :--

- a. फोटाग्राफ और हस्ताक्षर स्पप्ट नहीं होने पर आवदन अस्वीकार (कंब) जा सकता है।
- b. आवेदक का नवानतम रंगीन फोटा (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करना चाहिए। मावाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करे।
- e. फोटो की पष्डभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की डोनी चाहिए।
- त फोटो में आवंदक का चहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घरना चाहिए।
- e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कंपडे, छाया, वालों हारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठाडी स्पष्ट रूप से दिखाई दनी चाहिए।
- ा. यदि आप वस्मा पहनते हैं, तो फोटा खिंचवाते समय चश्मा पहन सकर ह लोकन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
- ु आवदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
- ा फोटा जपीर्राजी (JPEG) प्रारूप में हाना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm हाना चाहिए।
- ं, फाटा जपाईजी (JPEG) क पिक्सल न्युनतम 240 × 320- एवं अधिकरान 480 × 640 (०.३ मेगापिक्सल) होना चाहिए।
- j. फाईल का आकार 50 क.वी. सं 100 के.बी. तक होना वाहिए।
- िरकंन की गई फाटा का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना लाहिए।
- परोक्षा व गाय प्रवश पत्र / उपस्थित पत्र पर लगी काटा जागदक रा मात्र खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

8.हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :--

- ः आवदक एक सफद कागल (A4 size) पर 7 समी वीडाई एवं 2 समः अवाह के एक आवताकार वॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन - से हस्ताक्षर करें।
- b, हस्ताक्षर कवल आयदक | द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति क हारा हस्ताक्षर मान्य नहीं हागा।
- ८ आयताकार वाक्स म हस्ताक्षर करन के वाद इमज का स्केन करवाकर अलिताकार बोंक्स तक क्रींप करने के पश्चात् अपलोड करें।
- d. परीक्षा क समय प्रवश पत्र / उपस्थिति पत्र पर किय गय आगदक क अन्ताक्षर अपलाड उस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य उहराया का सकता है।
- e केवल जेपीईजी(JPEG)प्रारूप का स्वाकार किया जाएगा।
- \pm जंपीईजी (JPEG) के लिए न्युनतम पिक्सेल 280×80 स अधिकतम पिक्सेल 560×160 होना चाहिए।
- ु फाईल का आकार 20 क.वी. सं 50 क.वी. तक होना चाहिए।
- ी. हस्ताक्षर का आकार 50 कं.वी सं ज्यादा नहीं होना चाहिए
- मोवाईल पान का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटाग्राफ स्वाकार नहीं किया जायेगा।
 विशेष टिप्पणी:--
- परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी(Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपित्तयां आंमत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपित्त के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/— रू जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपित्त आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।
- परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानो पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोडफोड, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाएं रखें।
- 3. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
- 4. जिस पिरसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमित नही है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मलित है।
- 5. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.inपर उपलब्ध है।
- 6. परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित् करनी होगी।
- 17. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया :—यदि वाई अभ्यर्थी अपने आनलाईन आवदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की आंतम दिनाक क परचात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित गुल्क 300/— रूपय देवर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवदन में अभ्यर्थी क नाम, पिता के नाम, माता के नाम एगं पद नाम के अनावा अन्य प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेंगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करन एवं संशोधन हतु निर्धारित फीर जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवदन में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थों का होगा।
- 18. श्रुत लेखन की सुविधा:—सामान्यतया. सभी परीक्षार्थिकं का प्राप्त- विकार अपन कार से लिखन होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में गिर्णित एस विशव वाग्यजन (नेत्रकीन (Blind) सूर्यमुखा त्व अल्प दृष्टि त्यनन्य 40 पतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जा वाह कट हाने या उंगलियां नहीं हान के कारण निःखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करायें जायेंगें,परन्तु अचानक दुर्घटनावश लखन कार्य से अरथाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देव नहीं हागी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पात्र होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सिहत वांछे को श्रीचेत करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आंवटित परीक्षा वेल्च के कन्द्राधीक्षक के समझ उपिरियत होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सिहत श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की एवं प्रगाणित एक प्रतिकन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।
- 19.प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:—आवदक को वर्ग विशव(अनुसूचित जानि अनुसूचित जनजाि अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/अर्थिक रूप र कमजीर वर्ग उल्कृष्ट खिलाडी) का लाभ तव ही देय होगा जविक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई है। तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हतु ।नेम्नलिखित दस्तावज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे —

- 2. अन्य पिछडा वर्ग /अति पिछडा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर / नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछडा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
- 3 अन्य पिछडा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण—पत्र जो नियमानुसार पिता / माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता / माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- 4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाम देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आघेदन करना होगा।
- 5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
- 7 शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यकता, मूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन, चरित्र एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दरतावेज।
- 20. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:—आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही—सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक / अभिजागर / बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करनेएवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग / उपभीग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड / केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

21.परीक्षा का पाठ्यकम एवं परीक्षा की स्कीम:— वनपाल एवं वनरक्षक भर्ती की परीक्षा की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अलग से उपलब्ध करवा दिया गया जावेगा।

स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की

22.बोर्ड की वेबसाइट:—आवेदक बोर्ड की वेबसाइट <u>www.rsmssb.rajasthan.gov.in</u> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141—2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रविध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर—302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(डॉ. बी.एल.जाटावत)

अध्यक्ष